

कालेज आफ हार्टिकल्वर सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ-250110 (उ०प्र०)

डा० विजेन्द्र सिंह अधिष्ठाता

पत्रांकः सवप/2020/ चयान/542

दिनांकः 09/07/2020

डा० आई० एन० मुखर्जी सहायक महानिदेशक / सचिव उ० प्र० कृषि अनुसंघान परिषद

महोदय.

कृपया अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश एवं निर्यात प्रोत्साहन उ० प्र० शासन के पत्रांक संख्या 1451/पी.एस.ए.पी. -कैम्प/2020 दिनांक 27.05.2020 के अनुपालैन में विश्वविद्यालय एवं कार्य क्षेत्र में आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रो पर जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह में 3000 (तीन हजार) पौधे लगाने का निर्णय माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया था।

उपरोक्त के अनुपालन में कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र मे आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय परिसर में जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रो० आए० के० मित्तल माननीय कुलपति जी के कुशल निर्देशन में जामुन, सागौन, सहजन, नीम, सिलवरओक एवं शीशम के कुल 4232 पौधों का रोपण किया गया है। जिसकी रिपीट संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(विजेन्द्र सिंह)

प्रतिलिपि-

- 1 कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
- 2 निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

वृक्षारोपण कार्यकम

(प्रथम सप्ताह जुलाई 2020)

प्रमुख सविव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश एवं निर्यात प्रोत्साहन उ० प्र० शासन के पत्रांक संख्या 1451/पी.एस.ए.पी. -कैम्प/2020 दिनांक 27.05.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं कार्य क्षेत्र में आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों पर जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह में 3000 (तीन हजार) पौधे लगानें का निर्णय माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया था।

उक्त के अनुपालन में जुलाई के प्रथम सप्ताह में कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा वन विभाग से पौधे प्राप्त कर वृक्षारोपण करने का वृहत्त अभियान चलाया गया। गौतम वृद्ध नगर एवं वुलन्दशहर के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 500-500 पौधे जामुन, शीशम, सागौन, नीम आदि के रोपण किए गए तथा अन्य कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा औसत 150 पौधे की दर से अर्थात् कृषि विज्ञान केन्द्रौ द्वारा कुल 3802 रोपित किये गये है। दिनांक 05.07 2020 को प्रो0 आर0 कें0 मित्तल, गाननीय कुलपति जी के कुशल निर्देशन में विश्वविद्यालय परिसर एवं विशैडी फार्म पर सागौन, जामुन, सहजन, नीम, सिलवरओक एव शीशम के 430 पौधों रोपण किया गया तथा इस प्रकार विश्वविद्यालय परिसर एवं कार्यक्षेत्र में आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रो पर 3000 पौधारोपण लक्ष्य के सापेक्ष 4232 पौधों का रोपण किया जा चुका है।





प्रो0 आर0 के0 मित्तल, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 05.07.2020 की वृक्षारोपण करते



डा० बी० आर० सिंह, कुलसचिव द्वारा वृक्षारोपण



श्री अवध नारायण, विस्त नियंत्रक द्वारा वृक्षारोपण



डा० बिजेन्द्र सिंह, अधिष्ठाता उद्यान द्वारा वृक्षारोपण



प्रो० शमशेर, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर द्वारा वृक्षारोपण

S.V.P. Uni. of Agri. & Tech. Meerut-250110 (U.P.)

(बिजेन्द्र सिंह अधिष्ठाता उद्यान



औद्यानिकी महाविद्यालय सरदार वल्लाभाभाई पटेल कृषि एवं ग्रीद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ-250 110 (उ० प्र०)

पो० विजेन्त शिंह अधिकाता

पत्रांक सम्बद्ध / 2020 / अमित सहास्त्र / 16/ D-166 20 05 2020

रोवा में

डा० प्रभाकर दुवे अपर पधान गुरुषा वन संस्थाण योजना एवं कृषि वानिकी लखनक, च०५०

निषयः वर्ष 2020-2021 बृक्षारोपण में अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले 15 करोड़ बृक्षारोपण कार्य का अन्य संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन।

पहोदग.

कृपया रुपरोवत विषयक अपने पत्र संख्या -पी-798/36-पी-23 ए दिनांक 12.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार कृषि विश्वविद्यालय भेरठ चार सदस्थीय समिति का गठन करते हुए मेरठ मण्डल के समस्त जनपदों में अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उनत के क्रम में आपके पत्र में उल्लेखित माइडलाइन के अनुसार अनुश्रयण एवं स्थलीय सत्यापन हेत् माननीय कृलपति जी द्वारा सरदार चल्लामभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ की विम्वानुसार चार राव व्यीय समिति का गठन किया गया है जो पन्न में उल्लेखित कार्या का राम्पादन एवं इस विपयक प्रस्ताव मधाशीन आपको पेपित मिर्ना

डा० मनोज कुमार सिंह, सह प्राध्यापक

2. डा० अरविन्द कुगार, राह प्राध्यापक

डा० हरिओम कटियार, सहाठ प्राध्यापक

शी रतना सिंह, शोध छात्र (उद्यान), आई.डी. नं०-४२५०

महोदः के सूचनार्थ एवं रांज्ञानार्थ प्रेपित।

सादर.

Would (विलेन्स शित)

1. रामरत रामिति रादस्यों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेत् पेवित ।

2 निजी राहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

BY E-mail Only

कार्यालय वन रांरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरड क्षेत्र मेरड । E-Mail concerut@gmail.com (23/1 Riflet लाइन मेरठ-250001) Ph.Nq.: 0121-2664726 पत्रांक 3645/29-5 (भागेष्य २०२०-२१) भेरत, विनांक 1 (६) ४ 2020 ।

रोवा में,

क्लपति,

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तक्जीकी विश्वविद्यालय,

-11- 21 11/2

विषय:-वर्ष 2020 -21 में गुक्षारीपण भें अन्य विभागों दवारा किये जाने वाले 15 करोड़ वृक्षारीपण कार्य का

अन्य संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन |

अपर प्रधान गुख्य चन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०५० लायनऊ का प्रयाक रान्दर्श:-

पी॰ 798 / 36-पी-23-ए दिनांक 12.05.2020

गहोद्य,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें [(छायाप्रति संलयन) जिससे वर्ष 2020-21 वृक्षारोपण में अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले 15 करोड़ वृक्षारोपण कार्य का, अन्य संस्थाओं द्वारा अनुश्रयण एवं स्थलीस सत्यापन किसे जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । आपसे अनुसोध है कि अस्ताव में वर्णिन बिनदुओं का अवलोकन कर इस सम्बन्ध में अपनी आख्या/प्रस्ताव यथाशीघ्र अपर प्रधान मुख्य वन संस्थक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे सक्षम स्तर से विचारोपसंत निर्णय लिया जा सके |

रांलम्बन- उपरोक्तान्सार |

(एन०क्रें) जान) वन संरक्षक (क्षेत्रीय निदेशक, ्राागाजिक वानिक्षी भरत क्षेत्र, भरत।

113105-3645/ उवतिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनक को सचनार्थ

एनं आनश्यक कार्यनाही हेतु प्रेपित।

वन रांरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सागाजिक के छिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

345 DASCA2020-21\Ad S.O branch docx

Aice-Chancellor S.V.P.U. A. &T., Meccat Or Salya Prayorh

पेपक

प्रेयक. डा. प्रभाकर दूबे. अपर प्रधान मुख्य वन संस्थाक. योजना-एंवं कृषि वानिकी, उ०प्र०।

रोवा में.

कुलपति, सरदार बल्लगगाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, गेरठ, उ०प्रठ।

लखनक, दिनांक 12 मई 2020

विषय:- वर्ष 2020-2021 वृक्षारोपण में अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले 15 कतंत्र वृक्षारोपण कार्य का अन्य संस्थाओं द्वारा अनुअवण एवग् स्थलीय सत्यापन।

गहोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2020 वर्षाकाल में 25 करोड़ पौधे रोपण किया जा रहा है. जिसमें वन विभाग, विभागीय संसाधनों से 10 करोड़ पौध रोपण और अन्य विभागों द्वारा 15 करोड़ पौध रोपण, राज्य के सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में लगाए जाएंगे। प्रदेश के चार जनपदों में अन्य विभागों द्वारा कराये जाने वाले वृक्षारोपण के समवदी अनुभवण एवं स्थलीय सत्यापन कार्य प्रदेश के राजकीय कृषि विश्व विद्यालयों के माध्यम से कराया जाना निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

- 1. अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन हेतु सैग्पल का आकार: जनपद में मृक्षारोपण की इकाई ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/ शहरी क्षेत्र है जिसका माइक्रोप्लान वन तिभाग द्वास निरुपित किया गया है। अन्य विभागों द्वारा भी उक्त माइक्रोप्लान में प्रस्तावित पीध संख्या के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना है। एक जनपद में ग्राम प्यायत/स्थानीय निकाय/शहरी क्षेत्रों के निरुपित समस्त माइक्रोप्लान से स्टैटीफाइड रेंडम विधि से माइक्रोप्लान चयन इस प्रकार किया जाएगा कि जनपद में रोपित किए जाने वाले लक्ष्य का 5 प्रतिशत तथा जनपद के समस्त कार्यदायी विभागों का प्रतिनिधित्व उक्त सेम्पल में हो सके। चयनित जनपद में अनुश्रवण एवम् स्थलीय मूल्याकंन औसतन 40 ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/ शहरी क्षेत्र में कराये पए वृक्षारोपण क्षेत्रों में किया जाना है।
- 2. अनुश्रवण एवं रथलीय सत्यापन टीम: राजकीय कृषि विश्वविद्यालय के राहायक प्राध्यापक के नेतृत्व में तीन सदस्य टीम (कुल 4 सदस्यीय) द्वारा उवत् कार्य तित्या जाएमा। आवश्यकतानुसार टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। राजकीय विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रम में पंजीकृत/शोध कर रहे विद्यार्थी/उवत टीम की सदस्यता हेतु पात्र होंगे।
- कार्य का क्षेत्र : कृषि विश्वविद्यालय की टीम मेरठ मण्डल के समस्त जनपदो मे अनुभवण एन उथलीय सत्यापन का कार्य करेगा।

- 4. कार्य का विवरण : अनुश्रवण एवम् रथलीय सत्यापन दीम सर्वप्रथम नयनित शाम म प्राय्वावयन मुमण कर क्षेत्र को समृचित रूप से समझेगी। भ्रमण के दोसन यह दीम नयनित ग्रहकाना का परीक्षण कर क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त पीनशालाओं न वन विभाग से उनर बन्ध विभाग द्वारा कराए गए अग्रिम मृदा कार्य रथलों का निरीक्षण करेगी तथा वृक्षारापण कार्य व सहवागी दिश करेगी। दीम हास सम्बन्धित पाडकीचा व यूथारोपण रथल तक पीध दुलान की जानकरी सम्बन्धित प्रभागीय वनीववन्धि से पाष्व की वार्यमी। यह दीम स्टेक होल्डर के साथ समस्त रथलीय सहयागित सम्पण ख्वला वेंच वीपीएम दीख फोटी (सॉफ्ट कॉपी) रोषण की सूचना व रिपोर्ट के साथ प्रस्तृत करेगी।
- 5. कार्य की समय सीमाः टीम द्वारा 15 जून 2020 रो कार्य, प्रारम्म किया जाएमा वया 31 जुलाई तक पूर्ण किया जाएमा। टीम 31 अमरत 2020 तक अमरी रिमोर्ट अपर पत्नन मृध्य वन संस्थक, योजना एवं कृषि चानिकी, उ०५०, लखनऊ को प्रेस्तृत करेगी। आवश्यकतान्यार इस अविध को बढाया जा सकता है।

3. अनुश्रवण कार्य की साप्ताहिक सूचना का प्रारूप

अनुश्रवण एवं स्थालीय रात्यापन टीम द्वारा वृहारोपण कार्य की शृबना प्रत्नेक रामाह निम्न प्रारूप में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि नानिकी ,उ०५०,लक्षनक का

अपस्तुत करेंगी:

ज्नपद	प्रभाग	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत् / स्थानीय निकाय / शहरी क्षेत्र	गाइक्रोप्लान के अनुसार विभागवार लक्ष्म		विभागवार यास्तविक प्राप्ति	
				विभाग का नाम	पाँधाँ की संख्या	पौथों की संख्या	
1	2	3	4	5	. 6	7	

टीम लीडर के हस्ताधार

- 7. अनुश्रवण कार्य की रिपोर्ट : टीम लीडर हारा वृक्षारोपण अनुश्रवण व रशलीय सत्यापन कार्य पूर्ण कर संकलित अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट जिसमें निम्न अध्याय होगे अपर प्रधान मुख्य वन संस्थाक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्रवृत्वस्व को प्रस्तुत करेंगी :-
 - 1 प्रस्ताव
 - 2 उत्देश्य
 - 3 योजित कार्य
 - व योजित कार्यों की प्राप्त
 - 5 साझा अनुभव : विभाग, संस्था एवं स्टेकहोल्डर के लिए लगयोगी अनुभव जी आगामी वर्ष के रोपण कार्य की गुणात्मक सुधार में सहायक हो।

6 निष्कर्ण व संस्तुतियाँ।

 प्रस्ताय के बिन्दु — उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने हिंतू अपना प्रश्तान दन का कर करने अपने प्रस्ताव में निम्न विन्तुओं का भी समावेश करने का कर्ण कर

प्रति गाह उपरोवत कार्ग हेतु कूल अपेक्षित मनसिंग।

2. उपरोक्त अनुश्रवण व रथलीय रात्यापन कार्य में सम्मिलित पानन प्रमान का पर्य

अतः अपना प्रस्ताव शीध देने का काट करें। जिस पर सक्षम स्वर स् विचायपणन निर्णय लिया ला राके।

- - -(डा. प्रभाकर दुवे) अपर प्रधान गुरुय वन संस्थाक.

BY E-mail Only

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी भेरठ क्षेत्र भैरठ। E-Mail clinesry(@gmail.com (223/1 सिवित साहन मेरठ-20001) Fh.Nq.0121-266472 पत्रांक 3645 / 29-5 क्यानेका २००-२१) भेरठ, दिनाक 1815 2020 I

रोवा में,

कलपति, सरदार बल्लश आई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय,

भेरठ उ०प्र० |

ガームアーデュ

वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण में अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले 15 करोड़ वृक्षारोपण कार्य का विषय:--

अन्य संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ॰प्र॰ लखनऊ का प्रवाक सन्दर्भ:-

पी॰ 798/36-पी-23-ए दिनांक 12.05.2020

महोदय. उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें |(छायाप्रति संलग्न) जिसमें वर्ष 2020-21 वृक्षौरोपण में अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले 15 करोड़ वृक्षारोपण कार्य का, अन्य संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण एतं स्थलीय सत्यापन किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है | आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव में विणित बिन्दुओं का अवलोकन कर इस सम्बन्ध में अपनी आख्या/प्रस्ताव यथाशीघ्र अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ॰प॰ लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे सक्षम स्तर से विचारोपरात निर्णय तिया जा सके |

संलग्नक- उपरोक्तानुसार |

(एन०क्रें) जान्) वन सरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सागाजिक वाचिनी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 3645/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ

एतं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन०कॅके जान्) वन संरक्षक / होत्रीय निदेशक, सामाजिक विक्रिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

Dr. R.K. Mittal

Alec-Chancellor S.V.P.U.A. &T., Mes

Dr Salya Prayer

S.V.P. Uni. of Agri. & Tech. Meerut-250110 (U.P.)

345 DIASCA2020-21\Ad S.O branch dock

डा प्रभावर द्व अवर प्रशान मुख्य वन संस्टाल याजना एट क्या यानिकी उठप०

संव म

संरदार वल्लभगई पटेल कृषि एवं सकनीकी विश्वविद्यालय नेरट, उ०५०।

लखनऊ, दिनांक 12 मई 2020

वर्ष 2020-2021 वृक्षारीपण में अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले 15 करोड वृक्षारोपण कार्य विषय:-का अन्य संस्थाओं द्वारा अनुभवण एवन् स्थलीय सत्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वार 2020 पर्याकाल में 25 करोड़ गाँधे रोपण किया जा रहा है जिसमें दन विभाग विभागीय संवाधनों से 10 करोड़ धौद्य रोपण और अन्य विभाग द्वारा 15 करोड़ पोड़ रोयप, राज्य के सभी जान पंचायत और शहरी निकायों में लगाए जाएंगे। प्रवेश के चार जनपड़ों में अन्य विभागों द्वारा बराये जाने वाले वृक्षाराष्ट्रण के समवर्ती अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन कार्य प्रदेश के राजवीय कार्प विश्व विश्वासयों के नाध्यत से कराया जान निभ्न प्रकार प्रसावित है।

1. अनुअवण एवं स्थलीय सत्यापन हेतु सैम्यल का आकार : वानपव में व्यारीपण की डकार्ड ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/ शहरी क्षत्र है जिसका माइक्रोप्लान वन दिभाग द्वारा िनरूपित किया गया है। अन्य विभागों द्वारा भी उक्त गाइक्रोध्तान में प्रस्तावित पीध तंख्या के v. c. office र भेनुसार वृक्षारोपण किया जाना है। एक जनपद में ग्रान पंचायत/स्थानीय निकाय/शहरी NS0.42.ने होता के निकारित समस्त माइक्रोंग्लान से स्टैटीफ़ाइड रेंड्स विधि से माइक्रोंफ्लान चयन इस र्जिश्व के में जार किया जाएगा कि जनपद में रोपित किए जाने वाले लक्ष्य का 5 प्रतिशत तथा जनपद कं सनस्त कार्यवायी विभागों का प्रतिनिधित्व उक्त सैन्यल में हो सके। चयनित जनपद में अनुश्रदण एवम् स्थलीय नूल्याकंन औसतन ४० ग्राम पंचायत / स्थानीय निकाय / शहरो क्षेत्र में करावे गए वृक्षारोपण क्षेत्रों में किया जाना है

अनुस्रवण एवं स्थलीय सत्वानन टीम : राजकीय कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के नेतृत्व में तीन सदस्य टीन (कुल 4 सवस्थीय) द्वारा उनता कार्य किया जारका। भावश्यकतानुसार टीमीं की संख्या वढाई जा सकती है। राजकीय विश्वविद्यालय के भीतक/स्मातकोत्तर पाठयळम में पंजीकृत/शोध कर रहे विद्यार्थी/उक्त टीन की सदस्यता 19 5/20 हेतु पात्र होंगे।

 कार्य का क्षेत्र : कृषि विस्वविधालय की टीमें मेरल मण्डल के समस्त जनपदी में अनुभवण एवं रथलीय सत्यापन का कार्य करेगा।

भवाम कृषि एवं प्रौ.वि.वि., वे.च

- 4. कार्य का विवरण : अनुअवण एवम् रथलीय सत्यापम टीम सर्वप्रथम वयगित क्षेत्रौ में परिचयात्मक भ्रमण कर क्षेत्र को समुचित रूप से समझेगी। भ्रमण के वीराम यह टीम चयगित माइक्रोप्सान का परीक्षण कर क्षेत्र से सम्बन्धित सगरत पीधशालाओं व वन विभाग से इतर अन्य विभागों द्वारा कराए गए अग्निम गृदा कार्य रथलों का निरीक्षण करेगी तथा वृक्षारोपण कार्य में सहमागी स्टेकहोल्डर से आवश्यकता अनुसार सम्यर्क करेगी। टीम द्वारा सम्यन्धित में बराला के वृक्षारोपण स्थल तक पांध ढुलान की जानकरी समबन्धित प्रभागीय वनाविकारी से प्रपत्न की जायेगी। यह टीम रटेक होल्डर के साथ सगरत स्थलीय सत्यापित रोपण रथलों की जीपीएस देग्ड कोटो (सॉफ्ट कॉपी) रोपण की सूचना व रिपार्ट के साथ प्रस्तुत करेगी।
- 5. कार्य की समय सीमाः टीम छारा 15 जून 2020 से कार्य प्रारम्भ किया जाएमा तथा 31 जुलाई तक पूर्ण किया जाएगा। टीम 31 अगरत 2020 तक अपनी रिपोर्ट अपर प्रधान मुख्य दन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनक को प्रस्तुत करेगी। आवश्यकत नुसार इस अविधे को वडाया जा सकता है।
- 6. अनुश्रवण कार्य की साप्ताहिक त्त्वना का प्रारूपः

अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन टीम क्राचा वृक्षरोपण कार्य की सूचना प्रत्येक राजाह निन्न प्रारूप में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र०,लखनळ का प्रस्तत करेंगी:-

जनपद	प्रनाग 		ग्रान पंचायत / स्थानीय निकाय / शहरी क्षेत्र			विभागवार वास्तविक प्रास्ति	प्रतिशत उपलब्धि
				विभाग का	पीर्ध ।	पंशाँ को	
				सन	की	मख्या ।	
				संद्या			
1	2	3	4	5	6	7	8

टीम लीडर के हत्ताकर

- 7. अनुश्रवण कार्य की रिपोर्ट : टीन जीखर द्वारा वृक्षारोपण अनुश्रवण व रथलीय सत्यापन कार्य पूर्ण कर संकलित अनुश्रवण एवं रथलीय सत्यापन रिपोर्ट जिसमें निम्न अध्याय होगे अपर प्रधान नुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०,लखनक को प्रस्तुत करेंगी :-
 - 1 प्रस्ताव
 - 2 उद्देश्य
 - 3 योजित कार्य
 - 4 योजित कार्यों की प्रान्ति
 - 5 साझा अनुभव : विभाग, संस्था एवं स्टेकडील्डर के लिए उपयोगी अनुभव जो आमानी वर्ष के रोजन करने की गुणारनक हुआर में सहायक हो।

6 निष्कर्ष व संस्तृतिये:।

- 8. प्रस्ताव के बिन्दु उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने हतु अपना प्रस्ताय देने का कप्ट करें।
 - 1. प्रति गाह उपरोक्त कार्य हेतु कुल अवेक्षित धनराशि।
 - 2. उपरोक्त अनुभवण व स्थलीय सत्यापन कार्य में सम्भितित मानव संसाधन का पूर्ण

अतः अपना प्रस्ताव शीद्य वेने का कथ्ट करें। जिस पर सक्षम रतर से विचारापरान्त निर्णय लिया ला सके।

(डा. प्रभाकर द्वे)

योजना एवं कृषि जानिकी, उ०प्र०।



कुलसचिव कार्यालय सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पत्रांकः सवप/2023/कु०स०/॥५६६ दिनाकः 07/1/2023



कार्यालय आदेश

कृपया, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या B.17011/7UPC-II-PWM(SUP)/2022 दिनांक 30.06.2022 वं Rule 4(2) of PWM, 2016 (as amended) के अन्तर्गत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के प्रयासों के तहत विश्वविद्यालय परिसर में सिंगल यूस प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जाता है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करने में अपना-अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः

- 1. जन सम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2. वित्त नियंत्रक
- 3. समस्त अधिष्ठातागण / निदेशकगण को इस आशय के साथ प्रेषात है कि अपने—अपने समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने स्तर से अवगत करायेंगे।
- 4. निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

S.V.P. Uni. of Agri. & Tech. Meerut-250110 (U.P.)

तन्मय क्मार, पाएम Tanmay Kumar, Chairman



पर्यातम्ण, वन एवं जलवाय परिवर्तन पंत्रालय, भारत सरकार CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD MULISTRY OF F BY DOMENT FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT OF IND

No B 170116 UPC-II-PWM(SUP)/2022

Dated 30-06-2022

TO

The Principal Secretary State UDD

Sub: Direction Under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to State UDDs for Implementation of ban on Single Use Plastic (SUP)-Reg.

Whereas, the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) notified the PWM Rules, 2016, in exercise of the powers conferred under section 3,6, & 25 of the Environmental (Protection) Act, 1986 Vide Notification No. G.S.R. 320 (E) dated March 27, 2016; and

Whereas, Hon'ble Prime Minister of India announced India's pledge to phase out SUP by 2022 on World Environment Day June 05, 2022 and also pitched for freedom for Single Use Plastic while delivering the Independence Day speech on August 15, 2019, and

Whereas, MoEF&CC issued Notification, dated August 12, 2021 which mandated bathning of identified SUP items and prescribed minimum thickness of carry bag with effect from July 01, 2022; and

Whereas, as per Rule 4(2) of PWM Rules, 2016 (as amended). "The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic (SUP). including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:

III Dear Directer blear Registrar

- (a) Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration.
- (b) Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers; and

S.V.P. Uni. of Agri & Tech.

Meerui Whereast as per Rules 4(1) (c) of PWM Rules, 2016 (as amended) "Carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than seventy-five microns in thickness with effect from the 30th September, 2021 and one hundred and twenty (120) microns in thickness with effect from 31st December, 2022, and

Whereas as per to the A common partition of the common partition of the which is not an empty against the common partition and the common partition of the common partition of the common partition of the common partition of the common common partition of the common common partition of the common common

Whereas as series of the 19 to 19 to

The state of the State of a Union Territory shall be the authority for enforcement of the State of a Union Territory shall be the authority for enforcement of the State of the covers made of plastic sheets and multilayered the state of the

Whereas CPCB prepared a Comprehensive Action Plan (Annexure I) for the comprehensive Action Plan (Annexure II) for the comprehensive Action P

Whereas CPGB issued Direction dated 01-2-2022 to all SPCBs/PCCs on the subject (American Included following Directions related to the State Authorities

The concerned State Authorities to implement following action points to ensure effective implementation of SUP ban

- Market paced Shopping Centers/ Cinema Houses/ Tourist Locations/ Schools/ Colleges/ Office complexes / Hospitals & other Institutions) and Stockest/ Retailers/Sellers/Importers of banned SUP items/Street Vendors/Vegetable & Fruit Markets/Mails and other similar entities which are dealing in bulk in the aforementioned single use plastic items
- to take necessary action including cancellation of commercial licenses
- Commercial licenses to major Stocklest/ retailers/ sellers/ and Commercial Establishments with the condition that they shall not be stocking/selling/using banned SUP items
- To frame local bye laws for levying Unvironmental compensation in line with CPCB Guidelines for violation of stipulated conditions.
- e To sensitize through workshops/webinars the aforementioned identified entities and to direct them to take necessary action to ensure zero inventory of banned SUP items by July 01 2022

- 2. To conduct field inspections in association with District Magistrate, District Police & Local Urban and Rural Authorities to climinate stocking, sale & usage & as per format
- 3 To identify SUP Producers engaged in production of banned SUP items in informal sector/ suppliers of plastic raw material to such producers through contact tracing / public notice /public grievance reporting etc. & initiating action against them in association with local authorities.
- 4 To provide information for Mapping of District in each State/ UT for the SUP App being developed by CPCB.
- To coordinate with State Authorities to ensure grievance raised in the SUP App or any other similar App available with the local authorities are resolved in a time bound manner. RO, SPCB concerned shall coordinate with local authorities to resolve the grievance till details as per "10" above are provided and the source/origin of banned SUP items are traced and action is taken against the defaulters.
- 6 To take penal action/ levy EC on violators of stipulated conditions of the said Notification

Whereas CPCB issued letter dated February 25, 2022 (Annexure III) to Chief Secretaries of all State/UTs requesting for issuance of necessary instructions to concerned Authorities for implementation of Action Points as identified in the Action Plan; and

Whereas CPCB has developed SUP Public Grievance App which has provision for lodging of SUP related complaints (Description with geo-tagged pictures) by the citizens It has provision for online transfer of complaint to the concerned official for its resolution. The complaint redressal can be tracked on the App by the complainant. Country wise GeoJSon maps have been prepared to make the App fully operational across the Country. The App is available on the Play Store / App Store where it can be searched using "SUP CPCB" The QR code for downloading this App from the Play Store/ App Store is available on CPCB website https://cpcb.nic.in/uploads/SUPApp.pdf. The Instruction sheet for operation of SUP Grievance App is available on the "Menu" Page under the "Support" section.

Whereas, CPCB has developed SUP Compliance Monitoring Portal (cpcbplastic.in/SUP) which provides for Registration of Local bodies by the State Boards. The local bodies can enlist Manufacturers, Sellers (Stockiest, Retailers etc.) & Users (Hotels, Restaurants etc.) of SUP operating in their region. Inspection of the listed entities can be done through the Field Inspection App to ensure that the listed entities discontinue sale, The App is available on the Play Store / App Store where it can be searched using production or usage of SUP post July 01, 2022. "SUP Field Application" The portal also provides for filing of Inspection report and Action taken in case of violation reported. The Instruction sheet / FAQ for operation of SUP Monitoring Portal is available on the Homepage of the Portal listed entities discontinue sale, production or usage of



Whereas Hon'ble NGT vide Order dated September 10, 2020 in O.A 247/2017 had directed CPCB to finalize the compensation regime for violation of PWM Rules Further Hon'ble NGT directions vide order dated 08 01 2021 on the matter, directed that EC and penal action regime proposed by the CPCB (Annexure IV) may be duly implemented by the CPCB State PCBs/PCCs, State Level Monitoring Committees and all other concerned authorities. Whereas the EC regime prepared by CPCB has provision for

Whereas CPCB is regularly following up with SPCBs/PCCs to ensure compliance of Directions issued by CPCB as well as coordinate activities taken up by CPCB for molementation of the SUP ban. CPCB convened five interactive Meetings with SPCBs PCCs during Jan-May 2022 for the purpose. In addition, Regional Workshops/Central Workshop with SPCBs/PCCs have been organized during June 2022.

Whereas, the third National Task Force Meeting was convened by MoEF&CC on June 25, 2022 in which the SPCBs/PCCs were directed to execute the following action points:

- (1) Establishment of control room to monitor the enforcement of SUP ban by July 01,
- (2) Survey of manufacturing locations/sites, storage warehouse for stocking of banned single use plastic etc
- 3 Survey of municipal solid waste for presence of banned SUP items
- (4) Pan India Awareness campaign covering the following:
 - Regular newspaper advertisements on banned SUP items and alternatives
 - Sensitization workshops with industry
 - · Field publicity activities (hoardings and displays) at important public places community assembly points, markets, tourist spots, religious places, bus
 - Sensitization campaigns at market places, shopping malls, hotels, road side eateries, and

Whereas CPCB has issued Directions dated June 30, 2022 (Annexure V) to all State Boards to set up Control Rooms for effective implementation of SUP ban and intensive awareness and enforcement activities

Whereas Urban Development Department has a key role in checking sale / usage of SUP in accordance with provision of PWM Rules; and

Now, therefore, in view of above and in exercise of powers vested under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 to the Chairman, CPCB following directions are issued for compliance:

1. SUP Compliance Monitoring Portal (http://cpcbplastic.in/sup/)

- a. To ensure that all Local Bodies in your jurisdiction are registered on the SUP monitoring portal
- b To direct all Local Bodies to enlist all the major Commercial Establishments (Malls/ Market place/ Shopping Centers/ Cinema Houses/ Tourist Locations/ Schools/ Colleges/ Office complexes / Hospitals & other Institutions) and Stockiest/ Retailers/Sellers/Importers of banned SUP items/Street Vendors/Vegetable & Fruit Markets Mails and other similar entities which are dealing in bulk in the aforementioned single use plastic items operating in their jurisdiction on the portal.
- To prect all Local bodies to carry out intensive field inspections of the Commercial Establishments through the Field Inspection Module and file the inspection report as per procedures specified on the Portal.
- o To take appropriate action including seizure of goods, cancellation of commercial Icenses levying of Environmental Compensation etc. against the identified violators of SUP Ban and report the same on the Portal.
- e To ensure that complaints submitted by the Control Room on the portal related to sale & usage of SUP are resolved within seven days of lodging of Complaint and action as deemed fit is taken by the concerned Authorities
- 2 SUP Grievance App
- a To ensure that complete information (mapping of Districts & identification of concerned authorities) is provided to the State Boards for onward submission to CPCB to make the App fully operational in your jurisdiction
- b To ensure that complaints raised by the citizens related to sale & usage of SUP are resolved within seven days of lodging of Complaint and action as deemed fit is taken by the concerned Authorities

You are requested to take necessary action to ensure compliance of above Directions in line with the and submit action taken report by July 07, 2022 to this office.

Yours faithfully,

(Tanmay Kumar) Chairman

Copy to

- 1. Addl. Secretary, HSMD, MoEF&CC
- 2. All SPCBs/PCCs
- 3. All CPCB Regional Directorates

4. DH (IT)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

प्रो० अनिल सिरोही अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक सवप / अवस्रावक्त / 2022 / 10 2 37 दिनाक - अव्या 30 9 2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में गाँधी जयन्ती की पूर्व संध्या पर दिनांक 01.10.2022 को सायं 4:00 बजे विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओ एवं लक्ष्य, ए० सोसायटी फार सोशल एण्ड इनवायरमेन्टल डेवलपमेन्ट, डी०-906, ग्राजण्ड फ्लोर, पोकिट-3, डी०डी०ए० फ्लैट, बिन्दापुर, द्वारिका, नई दिल्ली 110059 के सहयोग से एक अपशिष्ट प्रबन्धन जारूकता शिविर आयोजन किया जा रहा है । शिविर के सफल आयोजन हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है।

- 1. डा० कमल खिलाडी, प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय
- 2. डा० विपिन कुमार, सह निदेशक, उद्यान विभाग
- 3. डा० चन्द्र कान्त, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी
- 4. ध्रुव सिंह, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी
- 5. रितेष प्रताप सिंह, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी
- 6. भूपेन्द्र सिंह, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी
- 7. चन्द्र शेखर प्रजापति, पी०एच०डी० कृषि प्रसार
- 8. मनोज कुमार, पी०एच०डी० कृषि प्रसार
- 9. रिषभ कुमार यादव, पी०एच०डी० कृषि प्रसार
- 10. शुभम सिंह, पी०एच०डी० कृषि प्रसार
- 11. सत्येन्द्र विश्वकर्मा, पी०एच०डी० पेथोलोजी

सदस्य _

सदस्य Chandrakart

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

प्रतिलिपि:

1. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।